जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक–प.2( )जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./बैठक/2025/डी–　　　　　　दिनांकः–

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 216वीं बैठक दिनांक 20.11.2025 को प्रातः 11:00 बजे श्रीमती आनन्दी, जयपुर विकास आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में ''चिंतन सभा कक्ष'' में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार–विमर्श पश्चात् निम्नांकित निर्णय लिये गयेः–

क्र.सं.	जोन	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	–	216:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 215वीं बैठक दिनांक 16.10.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लम्बित अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 215वीं बैठक दिनांक 16.10.2025 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई एवं लम्बित अनुपालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा लंबित प्रकरणों में शीघ्र पालना करने के निर्देश दिये गए।
2.	2	216:2	महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को जविप्रा के विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–10 में भूमि आवंटन बाबत्।	महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को जविप्रा के विद्याधर नगर योजना के सेक्टर–10 में भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित सीआरपीएफ के द्वारा कब्जे में स्थित 12501 वर्ग मीटर भूमि में से संस्थानिक क्षेत्र में अवस्थित 5859.04 वर्ग मीटर भूमि भू आवंटन नीति 2025 के परिशिष्ट–'अ' के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर पर आवंटन की अनुशंषा के साथ निर्धारित क्षेत्रफल (5000 वर्ग मीटर) से अधिक होने की स्थिति में राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। सीआरपीएफ के कब्जे की कुल भूमि में से वुडलैण्ड पार्क योजना में अवस्थित 6642.73 वर्ग मीटर भूमि पर से सीआरपीएफ के कब्जे को हटाये जाने तथा प्राधिकरण को वापिस लौटाये जाने की शर्त पर आवंटन संबंधी अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया गया।

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.302004
दूरभाष.क्ष91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

3.	8	216:3	निजी खातेदारी की योजना केसर ग्रीन के सुविधा क्षेत्र 8098.37 वर्ग मीटर में से 5000.00 वर्गमीटर शैक्षणिक संस्था हेतु आवंटन करने बाबत्।	निजी खातेदारी की योजना केसर ग्रीन के सुविधा क्षेत्र 8098.37 वर्ग मीटर में से 5000.00 वर्गमीटर शैक्षणिक संस्था हेतु आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर राईजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त निवेश प्रस्ताव के लिए भूमि आवंटन के अन्तर्गत मनभर देवी शिक्षा समिति को निजी खातेदारी योजना केसर ग्रीन के कुल सुविधा क्षेत्र 8098.37 वर्ग मीटर में से 5000.00 वर्ग मीटर भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संस्थागत आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भेजे जाने का निर्णय निम्नानुसार लिया गयाः– 1. सुविधा क्षेत्र की शेष रही भूमि का लैण्ड यूज निर्धारित किये जाते हुए डिमार्केट कर लैण्ड बैंक/सीपीआरएमएस में अद्यतन करावें। 2. भू आवंटन नीति 2025 के प्रावधान 3.1 के अनुसार संस्था की वित्तीय सक्षमता जॉचने हेतु निदेशक–वित्त के स्तर से तैयार कराये गये फार्मेट में प्रस्तावित निवेश में उल्लेखित राशि में से बिन्दु संख्या 3.1 के प्रावधानों में निर्धारित Investment Surplus Capital निवेशकर्ता के पास होना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस हेतु आवेदक के सी.ए. द्वारा निदेशक (वित्त) के निर्धारित प्रपत्र अनुसार सूचना देनी होगी।
4.	9	216:4	जविप्रा की आवासीय योजना सैन्ट्रल स्पाईन ब्लॉक–डी के भूखण्ड संख्या डी–86 कुल क्षेत्रफल 270.00 व.मी. के साथ बढ रही अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 54.00 व.मी. के आवंटन बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना सैन्ट्रल स्पाईन ब्लॉक–डी के भूखण्ड संख्या डी–86 कुल क्षेत्रफल 270.00 व.मी. के साथ बढ रही अतिरिक्त भूमि क्षेत्रफल 54.00 व.मी. के आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित भूखण्ड संख्या डी–86 के साथ लगती अतिरिक्त भूमि के संबंध में पूर्ण ब्लॉक की नाप मय अन्य किसी भूखण्डधारी की दावेदारी नहीं होना सुनिश्चित करते हुए एजेण्डा पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

				लौटाया गया।
5.	11	216:5	जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 153 रकब 0.0100 हैक्टे. किस्म गै. मु. चाह व खसरा नं. 154/318 रकबा 0.0200 हैक्ट. किस्म बारानी ए में से 12 मीटर चौडा पहुँच मार्ग अनुमत करने बाबत्।	जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 153 रकबा 0.0100 हैक्टे. किस्म गै. मु. चाह व खसरा नं. 154/318 रकबा 0.0200 हैक्ट. किस्म बारानी ए में से 12 मीटर चौडा पहुँच मार्ग अनुमत करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिया गया कि जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 153 रकब 0.0100 हैक्टे. किस्म गै. मु. चाह व खसरा नं. 154/318 रकबा 0.0200 हैक्ट. किस्म बारानी ए में से गै.मु चाह के क्षेत्रफल को छोड़ते हुए 12 मीटर चौडा पहुँच मार्ग आवासीय आरक्षित दर/डीएलसी दर, जो भी अधिक हो, की दर पर नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 27.02.2021 की पालना में निम्न शर्तो पर अनुमत किया जाता है :– 1. कम से कम 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित की जाने की विज्ञप्ति जारी की जावे। 2. उक्त भूमि केवल रास्ता उपयोग हेतु अनुमत होगी। 3. सड़क मार्ग मार्गाधिकार पर प्राधिकरण का स्वामित्व यथावत रहेगा। 4. विकासकर्ता को उक्त भूमि का भविष्य में कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
6.	12	216:6	ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35 रकबा 3.20 हैक्टे. में से 565.61 व.मी. भूमि प्रस्तावित सीआईडी (विशा) जोन यूनिट जयपुर ग्रामीण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।	ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35 रकबा 3.20 हैक्टे. में से 565.61 व.मी. भूमि प्रस्तावित सीआईडी (विशा) जोन यूनिट जयपुर ग्रामीण हेतु भूमि आवंटन बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित ग्राम बडी का खेडा, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 35 रकबा 3.20 हैक्टे. में से 565.61 व.मी. भूमि सीआईडी (विशा) जोन यूनिट जयपुर ग्रामीण को निःशुल्क आवंटित किया जाना सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार किया गया। संबंधित विभाग को आवंटन से पूर्व लिखित

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 302004
दूरभाषः91.0141.2570122द्व रु ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरु क्7019द्वरु फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

				सहमति तथा आवंटन बाबत स्वीकृत बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
7.	12	216:7	जविप्रा की आवासीय योजना ईडब्ल्यूएस भांकरोटा में 1555.55 व.मी. भूमि जिसकी लीजडीड राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भांकरोटा जेडीए कॉलोनी, सिरसी रोड, जयपुर के नाम जारी थी को ट्रोमा सेन्टर, भांकरोटा, सांगानेर हेतु आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना ईडब्ल्यूएस भांकरोटा में 1555.55 व.मी. भूमि जिसकी लीजडीड राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय भांकरोटा जेडीए कॉलोनी, सिरसी रोड, जयपुर के नाम जारी थी को ट्रोमा सेन्टर, भांकरोटा, सांगानेर हेतु आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित 1555.55 व.मी. भूमि ट्रोमा सेन्टर, भॉकरोटा को निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रस्तुत एजेण्डा अनुसार प्राधिकरण की ई.डब्लू.एस. आवासीय योजना भॉकरोटा में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, सिरसी रोड, जयपुर के नाम पूर्व में जारी लीजडीड को निरस्त किये जाने का उल्लेख करते हुए ट्रोमा सेन्टर भॉकरोटा को आवंटन जारी किया जाये।
8.	13	216:8	जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आवंटन करने बाबत्।	जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि का जयपुर विकास प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जविप्रा की आवासीय योजना पीताम्बरा के सी–ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. भूमि का प्राधिकरण के रीजनल ऑफिस हेतु आरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया। 214 वीं एलपीसी की बैठक दिनांक 12.09.2025 में राजकीय महाविद्यालय कानोता को स्थायी भवन निर्माण हेतु पीताम्बरा योजना के सी ब्लॉक के इस भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. में से 10000 व.मी. भूमि आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके स्थान पर सी ब्लॉक के इस भूखण्ड क्षेत्रफल 14982.6 व.मी. को

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर 302004
दूरभाष:91.0141.2570122 रु ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू 7019 रु फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

				प्राधिकरण के रीजनल आफिस हेतु आरक्षित किये जाते हुए पीताम्बरा योजना के सांस्थानिक भूखण्ड संख्या 2, 3, 13, 14 (प्रत्येक 2500 व.मी.) कुल 10000 व.मी. को पुर्नगठित किया जाकर राजकीय महाविद्यालय कानोता को स्थायी भवन निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति की गयी। संबंधित विभाग को आवंटन से पूर्व लिखित सहमति तथा आवंटन बाबत स्वीकृत बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।
9.	13	216:9	संदीप एण्ड फैमिली एलएलपी जरिये पार्टनर एव अधिकृत हस्ताक्षकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, पंजीकृत कार्यालय–I, उदयपुर गिलारिया, जगतपुरा, जयपुर को राजस्व ग्राम–मानसरखेडी, तहसील बस्सी के खसरा नं. 948/164 क्षेत्रफल 686.0 व.मी. किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का आवंटन करने बाबत्।	संदीप एण्ड फैमिली एलएलपी जरिये पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, पंजीकृत कार्यालय–I, उदयपुर गिलारिया, जगतपुरा, जयपुर को राजस्व ग्राम–मानसरखेडी, तहसील बस्सी के खसरा नं. 948/164 क्षेत्रफल 686.0 व.मी. किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि का आवंटन करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श के दौरान जोन द्वारा अवगत कराया गया कि– संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी जरिये पार्टनर एवं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, पंजीकृत कार्यालय–1, उदयपुर गिलारिया, जगतपुरा, जयपुर को राजस्व ग्राम–मानसरखेडी, तहसील–बस्सी के खसरा नम्बर 948/164 क्षेत्रफल 686.00 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पूर्व में आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर धारा 251–ए के तहत न्यायालय आदेश द्वारा मूल खसरा संख्या 164 में से नवीन खसरा 948/164 रकबा 0.0686 हैक्टे. किस्म गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत होकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज किया गया। जविप्रा का क्षेत्राधिकार होने से उक्त रास्ते की भूमि का नामान्तरण जविप्रा के पक्ष में दर्ज किया गया। वर्तमान में आवेदक उक्त रास्ते की भूमि को लेना चाहता है। अतः उक्त रास्ते की भूमि का

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

				आवंटन करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण की बीपीसी–एलपी की 402 वीं बैठक दिनांक 08.07.2025 में समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कार्यवाही की जानी है। प्रकरण में समिति द्वारा जोन के प्रस्ताव अनुसार राजस्व ग्राम– मानसरखेड़ी तहसील– बस्सी के खसरा नम्बर 948/164 क्षेत्रफल 686.00 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि के लगते हुए आवेदक के स्वामित्व की अन्य भूमि स्थित है। प्रश्नगत भूमि का कुल क्षेत्रफल 686 वर्गमीटर में से 366.90 वर्गमीटर भूमि आवंटित किये जाने के संबंध में चूकिं वर्तमान भूमि धारा 251ए, RTA के तहत रास्ते के रूप में दर्ज हुई है, अतः आवेदक द्वारा उक्त भूमि रास्ते के उपयोग में ही ली जा सकती है। तदनुसार प्रकरण निर्णित किया जाता है।
10.	13	216:10	संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी खसरा नं. 11/12, उदयपुर, गिलारिया, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, निवासी प्लॉट न.–ए–18 शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपर द्वारा राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट (एमओयू नं. एमओयू/2024–25/932 दिनांक 30.09.2024) के अंतर्गत रिसोर्ट प्रयोजनार्थ (पर्यटन ईकाई) राजस्व ग्राम फिलसनविहारीपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 67 रकबा 26.7062 हैक्टे. किस्म चरागाह बारानी–2 (26.1499 हेक्टेयर चारागाह, 0.5563 हेक्टेयर बारानी–2 में से 171382.79 व.मी. भूमि का आवंटन चाहा गया है)	संदीप एण्ड फेमिली एलएलपी खसरा नं. 11/12, उदयपुर, गिलारिया, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता डॉ. संदीप बक्शी पुत्र श्री मलूक सिंह बक्शी, निवासी प्लॉट न.–ए–18 शान्ति पथ, तिलक नगर, जयपर द्वारा राईजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट (एमओयू नं. एमओयू/2024–25/932 दिनांक 30.09.2024) के अंतर्गत रिसोर्ट प्रयोजनार्थ (पर्यटन ईकाई) राजस्व ग्राम फिलसनविहारीपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 67 रकबा 26.7062 हैक्टे. किस्म चरागाह बारानी–2 (26.1499 हेक्टेयर चारागाह, 0.5563 हेक्टेयर बारानी–2 में से 171382.79 व.मी. भूमि का आवंटन चाहा गया है) बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर राजस्व ग्राम फिलसनविहारीपुरा, तहसील बस्सी के खसरा नं. 67 रकबा 26.7062 हैक्टे. किस्म चरागाह बारानी–2 (26.1499 हेक्टेयर चारागाह, 0.5563 हेक्टेयर बारानी–2 में से जोन द्वारा प्रस्तावित 171382.79 व.मी. भूमि के स्थान पर भू आवंटन नीति 2025 के प्रावधान परिशिष्ट–'ब' (घ ा) में निर्धारित रिसोर्ट हेतु अधिकतम क्षेत्रफल

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

				(राईजिंग राजस्थान के इस निवेश प्रस्ताव के आधार पर) 60000 व.मी. भूमि रिसोर्ट प्रयोजनार्थ आवंटित किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति की अभिशंषा के साथ डी.एल.सी. दर से 150 प्रतिशत की दर पर आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। भू आवंटन नीति 2025 के प्रावधान 3.1 के अनुसार संस्था की वित्तीय सक्षमता जॉचने हेतु निदेशक–वित्त के स्तर से तैयार कराये गये फार्मेट में प्रस्तावित निवेश में उल्लेखित राशि में से बिन्दु संख्या 3.1 के प्रावधानों में निर्धारित Investment Surplus Capital निवेशकर्ता के पास होना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस हेतु आवेदक के सी.ए. द्वारा निदेशक (वित्त) के निर्धारित प्रपत्र अनुसार सूचना देनी होगी। उक्त खसरा नम्बरान की शेष भूमि के संबंध में जोन स्तर से प्लानिंग तैयार कर पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक के समक्ष रखा जावे।
11.	14	216:11	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0. 0900 हैक्टेयर की भूमि में से 500 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सालय, मोहनपुरा, तहसील सांगानेर हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि में से 500 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सालय, मोहनपुरा, तहसील सांगानेर हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि में से 500 व.मी. भूमि राजकीय पशु चिकित्सालय, मोहनपुरा, तहसील सांगानेर हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। संबंधित विभाग को आवंटन से पूर्व लिखित सहमति तथा आवंटन बाबत संबंधित विभाग द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

12.	14	216:12	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि में से 400 व.मी. भूमि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि में से 400 व.मी. भूमि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 746/1599 रकबा 0.0900 हैक्टेयर की भूमि में से 400 व.मी. भूमि राजकीय आयुर्वेद औषधालय, मोहनपुरा हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। संबंधित विभाग को आवंटन से पूर्व लिखित सहमति तथा आवंटन बाबत स्वीकृत बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। जोन की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर पड़ौसी खातेदार द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रवर्तन की कार्यवाही की जाये।
13.	14	216:13	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 745 रकबा 0.0600 हैक्टेयर की भूमि में से 300 व.मी. भूमि कार्यालय पटवार भवन हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 745 रकबा 0.0600 हैक्टेयर की भूमि में से 300 व.मी. भूमि कार्यालय पटवार भवन हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर ग्राम मोहनपुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर में जविप्रा स्वामित्व के खसरा नं. 745 रकबा 0.0600 हैक्टेयर की भूमि में से 300 व.मी. भूमि कार्यालय पटवार भवन हेतु निःशुल्क आवंटन किये जाने की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गयी। संबंधित विभाग को आवंटन से पूर्व लिखित सहमति तथा आवंटन बाबत स्वीकृत बजट प्रावधान प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही आवंटन जारी किये जाने का निर्णय लिया गया।

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर 302004
दूरभाष.क्ष91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

				जोन की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर मौके पर पड़ौसी खातेदार द्वारा अस्थायी अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया गया है, जिसे आवंटन पत्र जारी किये जाने से पूर्व प्रवर्तन की कार्यवाही की जाये।
14.	22	216:14	गोदावरी देवी फाउण्डेशन संस्थान, जयपुर को मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 1989 रकबा 13.61 हैक्ट. किस्म चरागाह में से भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	गोदावरी देवी फाउण्डेशन संस्थान, जयपुर को मेडिकल कॉलेज व विश्वविद्यालय स्थापना हेतु जविप्रा स्वामित्व की भूमि ग्राम शिवदासपुरा तह. चाकसू के खसरा नम्बर 1989 रकबा 13.61 हैक्ट. किस्म चरागाह में से भूमि आवंटन किये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर राईजिंग राजस्थान के तहत प्राप्त इस निवेश प्रस्ताव के संबंध में भू–आवंटन नीति के परिशिष्ट–ब के तहत निर्धारित क्षेत्रफल एवं मौके पर शिवदासपुरा स्पेशल जोन की प्लानिंग के आधार पर टोंक रोड़ से पदमपुरा की ओर जाने वाली 30 मीटर सड़क के दायें भाग में स्थित 20 एकड़ भूमि विश्वविद्यालय प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा आवश्यक भू–उपयोग परिवर्तन की प्रत्याशा में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अभिशंषा के साथ संस्थागत आरक्षित दर पर आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया। भू आवंटन नीति 2025 के प्रावधान 3.1 के अनुसार संस्था की वित्तीय सक्षमता जॉचने हेतु निदेशक–वित्त के स्तर से तैयार कराये गये फार्मेट में प्रस्तावित निवेश में उल्लेखित राशि में से बिन्दु संख्या 3.1 के प्रावधानों में निर्धारित Investment Surplus Capital निवेशकर्ता के पास होना सुनिश्चित किये जाने के पश्चात ही अग्रिम कार्यवाही की जावे। इस हेतु आवेदक के सी.ए. द्वारा निदेशक (वित्त) के निर्धारित प्रपत्र अनुसार सूचना देनी होगी। उक्त खसरा नम्बर की शेष भूमि के संबंध में जोन स्तर से प्लानिंग तैयार कर एण्डयूज निर्धारित किये जाते हुए पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

				के समक्ष रखा जावे।
15.	23	216:15	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर को परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत घोषणा संख्या 91(04) के क्रम में अधिसूचना दिनांक 03.10.2025 के द्वारा जविप्रा रीजन में सम्मलित ग्राम कादेडा तहसील चाकसू के खसरा नं. 2688/1240 रकबा 33.06 हैक्टे. किस्म चरागाह (राजकीय भूमि) मे से 7.00 हैक्टे. भूमि राजकीय बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में।	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, जयपुर को परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024–25 के अन्तर्गत घोषणा संख्या 91(04) के क्रम में अधिसूचना दिनांक 03.10.2025 के द्वारा जविप्रा रीजन में सम्मलित ग्राम कादेडा तहसील चाकसू के खसरा नं. 2688/1240 रकबा 33.06 हैक्टे. किस्म चरागाह (राजकीय भूमि) मे से 7.00 हैक्टे. भूमि राजकीय बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना हेतु आवंटन किये जाने के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा प्रकरण पर विचार–विमर्श कर जोन द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र वर्तमान तक प्राधिकरण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से प्रस्तुत टेबल एजेण्डा				
19.		216:16	जविप्रा की राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कीरों की ढाणी में विद्यालय हेतु 2708.79 वर्ग मीटर भूमि आवंटन के संबंध में।	जविप्रा की राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कीरों की ढाणी में विद्यालय हेतु 2708.79 वर्ग मीटर भूमि आवंटन किये जाने बाबत एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श कर नवीन भू आवंटन नीति 2025 के परिशिष्ट–'अ' में निर्धारित क्षेत्रफल के अनुसार संभागीय स्तर पर विद्यालय हेतु 2000व.मी. निर्धारित होने के कारण प्राप्त आवेदन एवं जोन के प्रस्ताव अनुसार जविप्रा की राजीव आवास योजना के अन्तर्गत कीरों की ढाणी में विद्यालय हेतु 2708.79 वर्ग मीटर भूमि जो कि निर्धारित क्षेत्रफल से अधिक है, के निःशुल्क आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 18996274

जयपुर विकास प्राधिकरणए जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निदेशक (वित्त/अभियांत्रिकी–I, II, III, IV/नगर–आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
6. अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
7. संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजमेंट/संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
8. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन–1 से 14, पृथ्वीराज नगर (उत्तर–प्रथम व द्वितीय) (दक्षिण–प्रथम व द्वितीय)।
11. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा को कार्यवाही विवरण स्केन कर जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड करने के लिये।
12. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।

सदस्य सचिव एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर.302004
दूरभाष.क्ष91.0141.2570122द्व रू ईपीबीएक्स .910141.2569696 एक्सटेंशनरू क्ष7019द्वरू फैक्स. 91.141.2574555
ई-मेल : {aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.11.27 08:48:42 IST
Reason: Approved